रजि. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED NO. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 100] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 17, 1985/वैशाख 27, 1907
No. 100] NEW DELHI, FRIDAY, MAY 17, 1985/VAISAKHA 27, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

श्रम मन्त्रालय

नई दिल्ली, 17 मई, 1985

शुद्धि पत्र

फा स आर 11012(1)/84-आर डब्ल्यू —भारत का राजपत्र असाधारण, के भाग-1 खण्ड-1 में प्रकाशित श्रम मन्त्रालय के विनांक 17 नवम्बर, 1984 के संकल्प संख्या आर-11012(1)/84-आर डब्ल्यू में पैरा-4 के स्थान पर निम्न पैराग्राफ जोड़े जाएं ।

"4 त्रिपक्षीय अध्ययन दल तीन व्यक्तियों का सहयोजित कर सकता है जिन्हें उनके अपने विशेष ज्ञान के कारण अध्ययन दल की सहायता करने के लिए कहा जाएगा ।

5. त्रिपक्षीय अध्ययन दल अपने गठन की तारीख से एक वर्ष की अ में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा ।"

ए. के. श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव/महानिदेशक
(श्रम कल्याण)

MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 17th May, 1985

CORRIGENDUM

File No. R. 11012|1|84-RW.—In the Ministry of Labour Resolution No. R-11012|1|84-RW dated the 17th November, 1984, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-I Section-1, for para 4, the following paragraphs will be inserted :—

"4. The Tripartite Study Group may co-opt upto three persons who by virtue of their special knowledge will be asked to assist the Study Group.

5. The Tripartite Study Group will submit its report within one year from the date of its constitution."

A. K. SRIVASTAVA, Jt. Secy.
Director General (Labour Welfare)

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1985